न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– **01/2015**

रेणु कुमारी बनाम राज्य

–:: आदेश ::–

29.3.18 प्रस्तुत अपील जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आंगनवाड़ी वाद संख्या– 62/2013–14 में पारित आदेश दिनांक– 11.08.2015 के आलोक में अपीलार्थी रेणु कुमारी, पति– विजय ठाकुर, साकिन– नन्दलाली, ग्राम पंचायत– भेलवा, थाना– बिहरा, जिला– सहरसा के द्वारा दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि केन्द्र संख्या– 93 मिलन मन्दिर, साकिन– नन्दलाली, ग्राम पंचायत– भेलवा, वार्ड नं0–4, थाना– बिहरा, अंचल– सत्तरकटैया में अवस्थित है, जो वार्ड नं0–4 से बना हैं एवं यह क्षेत्र वर्ग वाहुल्य अति पिछड़ा हैं। सेविका के चयन के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसमें आवेदिका ने ससमय अपना आवेदन विहित प्रपत्र में दिया, जिसमें आवेदिका का नाम क्रमांक– 1 में अंकित हैं। दिनांक– 17.7.2012 के आम सभा में प्रस्ताव संख्या–3 (क) में रूवी कुमारी को 76.85 प्रतिशत अंक दिखाया गया है, लेकिन रूवी कुमारी के श्वसुर महेश्वरी यादव गृह रक्षा वाहिनी के पद पर कार्यरत है एवं उसकी ननद का विवाह वार्ड सदस्य महेन्द्र यादव के परिवार में हुआ है, जो जन प्रतिनिधि के निश्तेदार होने के दायरे में आता है जो मार्गदर्शिका– 2011 के अनुसार चयन उचित नहीं हैं। प्रस्ताव संख्या–3(ख) में 63.13 प्रतिशत अंक आशा कुमारी का दिखलाया गया है, लेकिन आशा कुमारी के पति सरोज कुमार का सहोदर भाई क़ी पत्नी सरपंच है जो प्रतिनिधि के दायरे में आता है, इसलिए इनका चयन अयोग्य किया गया हैं। विन्नी कुमारी को 41.8 प्रतिशत अंक प्राप्त है, लेकिन वह भेलवा टोला जो पोषक क्षेत्र से बाहर है की रहने वाली हैं। प्रस्ताव संख्या– 3(घ) मोनिका कुमारी को 53.71 अंक दिखाया गया है एवं वह आशा पद पर कार्यरत है अर्द्ध सरकारी एवं लाभ के पद पर है, इसलिए उसका चयन नहीं किया गया। आवेदिका रेणु कुमारी, पति– विजय ठाकुर को 59.85 प्रतिशत अंक दिखाया गया है एवं आय 4000.00 रूपया मात्र दिखाया गया है, जो अति पिछड़ी जाति से आती है एवं पिछले आम सभा में भी उसका चयन हुआ, लेकिन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी नये सिरे से चयन का आदेश दिया गया हैं। प्रस्ताव संख्या– 4 में रेणु कुमारी का चयन आम सभा में किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने गलत ढंग से आम सभा के रजिस्टर में काट कर पैरवी एवं पहुँच के बल पर रिश्वत लेकर विपक्षी रूवी कुमारी का चयन कर दिया जो आम सभा में काट कर बगल में काट कर बगल में लिखी रूवी कुमारी को बहाल किया गया, उसे अनुलग्नक–2 में दिया गया हैं। आवेदिका ने इस चयन के विरूद्ध लोकायुक्त में आवेदन दिया हैं।

अपीलार्थी ने आगे कहा है कि रूवी कुमारी का श्वसुर अभी भी गृह रक्षा वाहिनी के पद पर कार्यरत है, जिन्हें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने गलत ढंग से आम सभा रजिस्टर में काट कर रूबी कुमारी का चयन करके आवेदिका के बदले विपक्षी रूबी कुमारी का चयन कर लिया हैं। उन्होंने आगे यह जिक्र किया है कि मार्गदर्शिका 2011 के कंडिका– 4.9 में संबंधित पंचायत, प्रखण्ड, अंचल, अनुमण्डल एवं जिला में पदस्थापित सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी केन्द्र सरकार और राज्य के सरकार के रिश्तेदार (माँ, पिता, पत्नी, बहु, भाभी अर्थात बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी, बहन पुत्री) का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा। जबकि आम सभा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि रूवी कुमारी का श्वसुर होम गार्ड पद पर बहाल हैं।यह कहना गलत है कि वर्ष 2012 में चयन होगा एवं 2011 का लागु नहीं होकर 2010 का मार्गदर्शिका लागू होगा। अतः अपीलार्थी का कहना है कि रूबी कुमारी का चयन गैरकानूनी है, जिसे खारीज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0) के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

29.3.18
जिला पदाधिकारी
सहरसा।

29.3.18
जिला पदाधिकारी
सहरसा।